

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर
क्रमांक: ई-18/एम/170/जोन-जोधपुर/2024/ दिनांक :-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: एफ.15(1)एफ.डी./नियम/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.15(88)एफडी/(रूल्स)/2017 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों की अनुपालना में श्री संजय सोनी, कनिष्ठ सहायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर जिनकी राज्य सेवा (संवर्ग) में प्रथम नियुक्ति तिथि 22.01.2005 है तथा राज्य सेवा (संवर्ग) में 18 वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण करने पर दिनांक 22.01.2023 से पे मेट्रिक्स के लेवल-10 में ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुरूप कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

क्रमांक: ई-18/एम/170/जोन-जोधपुर/2024/114

दिनांक :- 15/5/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. श्री संजय सोनी, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

RajKaj Ref
7004698



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.05.14 20:48:07 IST
Reason: Approved